TEN RUPEES दस रुपया

193

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल बोर्ड ग्वालियर कैम्प- सागर म0प्र0

R 4178-I-16

कमल पिता छेदीलाल खटीक उम्र 50 वर्ष
निवासी- विवेकानंद वार्ड, तहसील व जिला सागर म0प्र0

----पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

// बनाम //

श्रीमति अंगूरीबाई उम्र 60 वर्ष पत्नि साबूलाल जैन
साकिन- बल्लभनगरवार्ड, तहसील जिला सागर म0प्र0

---उत्तरवादी/अनावेदक

आवेदनपत्र अंतर्गत धारा- 50 म0प्र0भू0रा0सं01959

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान राजस्व निरीक्षक नरयावली तहसील सागर जिला सागर के द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक- 36अ/12 वर्ष 2015-16 के आदेश दिनांक 25-05-15 के पालन मे की गई सीमांकन कार्यवाही की वैधानिकता के विरूद्ध निम्न आधारो पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है :-

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

यह कि, राजस्व निरीक्षक नरयावली के समक्ष प्रतियाचिकाकर्ता के द्वारा मौजा चकरौदा प0ह0न0 19 रा0 नि0म0 नरयावली भूमि ख0न0 47/2, 48 रकवा क्रमशः 0.82 एवं 0.81 है0 के सीमांकन हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था जिस पर राजस्व निरीक्षक ने सरहदी कृषको को बिना सूचनापत्र जारी किऐ, पटवारी की अनुपस्थिती मे त्रुटिपूर्ण नक्शा के आधार पर त्रुटिपूर्ण त्रुटि पूर्ण सीमांकन किया जिसमे पुनरीक्षणकर्ता को भूमि घर, कुआ, एवं अमरूद के वृक्ष प्रतियाचिकाकर्ता की होना बताकर, पुनरीक्षणकर्ता का अवैध कब्जा बतया है इस त्रुटिपूर्ण सीमांकन के आधार पर प्रतियाचिकाकर्ता ने नायब तहसीलदार नरयावली के समक्ष म0प्र0भू0रा0सं01959 की धारा-250 के तहत पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही कर दी जो विचाराधीन है उपरोक्त कारणो से पुनरीक्षणकर्ता को माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करनी पड़ी जो निम्न आधारो पर स्वीकार योग्य है :-

|| पुनरीक्षण के आधार ||

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता को सीमांकन के पूर्व लिखित या मौखिक सूचना नही दी गई, सीमांकन प्रकरण मे इस आशय का कोई प्रमाण सलंग्न नही है जो यथा पुनरीक्षणकर्ता की अनुपस्थिती मे सीमांकन की कार्यवाही की गई है जो विहित नियमो के विपरीत है ।

2. यह कि, सीमांकन प्रकरण मे आदेश पत्रिका दिनांक 15-06-2015 महत्वपूर्ण है जिसके अंत मे लेख है "खसरा मे अंकित रकवा एवं नक्शा के रकवा मे अंतर पाया गया अन्तर निम्नानुसार है :-

ख0न0	नक्शा का रकवा	खसरा रकवा
47/2	0.59 है0	0.82 है
48	1.30 है0	0

राजस्व अभिलेख खसरा मे दर्ज रकवा एवं नक्शा के होने पर सीमांकन नही किया जाना चाहिऐ जब तक का ... [illegible] ... रकवा

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–4178–एक/2016 जिला–सागर

कमल विरूद्ध श्रीमती अंगूरीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक नरयावली तहसील व जिला–सागर के प्रकरण क्रमांक 36/अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 25–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये. है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 7/3/19 सदस्य	